Secondly, Sir, he was asking about the question of employment. When the disabled persons go there, they are not properly helped. Government will certainly look into this issue and give preference to the disabled persons on first priority.

श्री सुरेश पचौरी : सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय कल्याण मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विकलांगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं ? क्या अलग अलग राज्यों में विकलांग सहायता केन्द्र बनाए गए हैं, यदि बनाए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ? साथ ही विकलांगों की सहायता के लिए जो 302 वालेंटरी आर्गेनाइजेशन की मदद ली जा रही है उनको अभी तक कितनी वित्तीय मदद दी गई है ? क्या कल्याण मंत्रालय की तरफ से कोई मोनिटेरिंग सिस्टम है ? क्या उस मोनिटेरिंग सिस्टम से मंत्री जी संतुष्ट हैं और जिस मकसद के लिए उनको सहायता दी गई है क्या उस लक्ष्य की पूर्ति में सफल साबित हुए हैं ?

श्री संघ प्रिय गौतम : अपनी विकलांग सरकार का भी इलाज पूछ लीजिये **(व्यवधान)**

श्री एस० एस० अहलुवालिया : अपनी पार्टी को तो देख लीजिये उसकी बैसाखियां टूट गई हैं **(व्यवधान)**

SHRI K. V. THANGKA BALU: Sir, I am happy to inform the House that the Government of India is assisting the voluntary agencies to the tune of 90 per cent cost in respective areas and the remaining 10 per cent is to be borne by the NGOs. We are very much satisfied with the activities of the voluntary agencies and they are doing good work.

As the hon. Member has asked about monitoring, our Department is monitoring the agencies every time and also, we get reguiar reports from the State Governments. The State Governments were also involved in monitoring this programme. We are getting very satisfactory reports about the working of the voluntary agencies.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Mr. Chairman, Sir, as you are aware, there are two aspects of the problem. One is preventing of the prejudices or the malpractices which cause inconvenience to the disabled persons. The other is the question of providing positive facilities even in such places like picture galleries, museums, etc. I need not go into the incidents. But I find that the approach of the Government is a fragmented one. Therefore, my question is: Does the Government propose to review the policy, the programme, the strategy and the legislation covering the various Ministries which deal with this aspect and adopt a holistic and comprehensive approach in a positive context since the subject is of great social significance?

SHRI K. V. THANGKA BALU: Sir, I fully agree with the Member. All these things will be taken into consideration while formulating the Bill.

शिक्षा के प्रभावकारी प्रबंधन के बारे में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें

*82. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : †

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति ने शिक्षा के प्रभावी प्रबंध हेतु इसका विकेन्द्रीकरण करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इससे शिक्षा-प्रबंध में व्यापक सुधार होने की आशा है ; और

†सभा में यह प्रश्न डा० जिनेन्द्र कुमार जैन द्वारा पूछा गया ।

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंधन पर गठित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : महोदय, सारा देश जानता है कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री बहुत ही होशियार आदमी हैं । लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद मंत्री महोदय को मंत्रालय के कार्य के लिए समय कुछ कम मिल पा रहा है । कारण यह है कि समस्याएं कुछ और हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे समाधानों की दिशा कहीं और जा रही है । सभापति जी, मेरे प्राथमिक पूरक प्रश्न के दो खंड हैं । पहला प्रश्न है :

श्री अजीत जोगी : वीडियो कैसेट ठीक से नहीं चल रहा है क्या ?

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : बालिका मंत्री से बालिकाओं की शिक्षा के बारे में और दूसरा खंड है मध्य प्रदेश से आने वाले माननीय मंत्री महोदय के ग्रामों और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में । सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि हमारे देश में महिलाओं की साक्षरता अभी 14 प्रतिशत से भी कम है । मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि महिला असाक्षरता जिसके कारण है, बालिकाओं को घर के कामकाज में लगाया जाना या गरीबी की वजह से चाइल्ड लेबर की तरह से उपयोग किया जाना, तो किस प्रकार विकेंद्रीकरण से बालिकाओं की शिक्षा की दर बढ़ेगी । यह मैं जानना चाहता हूं । "ख" खंड में मैं जानना चाहता हूं कि गांवों में रहने वाले . . . **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: Why don't you put it as a second supplementary?

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : गांवों की बात मेहरबानी करके सुनिये..... **(व्यवधान)**

श्री कैलाश नारायण सारंग : तुम सूरज कुंड की बात मत बोलो . . . **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: Please finish quickly: If you finish the question in time there wouldn't be any interruption.

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : तो गांवों में रहने वाले जो बच्चे हैं क्या यह सही है कि 6 वर्ष की उम्र के बाद 57 प्रतिशत बच्चे कभी स्कूल में जा ही नहीं पाते । या तो उनके घर के पास स्कूल नहीं हैं या स्कूलों में सुविधा नहीं है । तो यह विकेंद्रीकरण का फारमूला उन गांवों में आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले उन बच्चों की शिक्षा में किस प्रकार सहायक होगा मंत्री महोदय कृपया यह बताने की कृपा करें ।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आदरणीय सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य इस बात से चिंतित हैं कि मैं मंत्रालय काम नहीं देख पा रहा हूं, समय नहीं दे रहा हूं । मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कम से कम आपने अपने इस प्रश्न को तो पूरा पढ़ लिया होता जो कि पूछ रहे हैं । यह प्रश्न स्पष्ट रूप से सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आन एजूकेशन की कमेटी जो डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट आफ एजूकेशन के लिए नियुक्त की गयी है उसके निष्कर्षों से संबंधित है । यह, सारे देश में क्या हो रहा है उससे संबंधित नहीं है । और इस प्रश्न का उत्तर इसीलिए दिया गया है कि यह समिति बनाई गई है । जो संविधान में संशोधन हुए हैं पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज के, उसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से उसमें अमल किया जा सकता है, डी-सेंट्रलाईज़ेशन किया जा सकता है ग्रामीण अंचल पर, शहरी अंचल पर, यह उससे संबंधित समिति है और इस समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी, इसलिए मेरा ऐसा उत्तर है ।

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : सभापति जी, माननीय मंत्री जी का ख्याल है कि मैंने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या जब यह कमेटी बनाई गई थी, उसकी कार्य अवधि तीन महीने की थी, या ज्यादा थी और यदि तीन महीने और कार्य अवधि में उन्होंने कोई अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी, तो ग्रामीण और बच्चों की शिक्षा की चिंता का दावा करने वाले मंत्री महोदय इस बात की चिंता करें कि तीन महीने खत्म हो गये और रिपोर्ट नहीं आई। इस वजह से मेरी चिंता थी ।

अब मैं अपने प्रश्न का सप्लीमेंटरी पूछ रहा हूं । वह यह है कि.... **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी : यह पांचवा है ।

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : कि वर्तमान व्यवस्था में भी, मंत्री महोदय, यदि हम शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करें, तो पायेंगे कि शिक्षा का स्तर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में समान नहीं है, एक जिले से दूसरे जिले में समान नहीं है, एक ही नगर में रहने वाले और विभिन्न प्रकार के संस्थानों में समान नहीं है ।

क्या इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि संपूर्ण देश में एक न्यूनतम शिक्षा का अवसर, आधार और स्तर, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो या ऊंचे वर्ग का हो, चाहे गांव में रहने वाला हो या शहरों में रहने वालों हों, सब के लिए होना चाहिए ?

MR. CHAIRMAN: I think you have already asked your question.

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : मेरा प्रश्न यह है कि विकेंद्रीकरण का फार्मूला... **(व्यवधान)**

सभापति जी, मेरा प्रश्न यह है कि न्यूनतम शिक्षा का स्तर सब जगह समान होगा, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए विकेंद्रीकरण में यह और भी हो जाएगा और केंद्रीय सरकार समानता का अवसर देने में विफल रही है, तो विकेंद्रीकरण से इसका क्या समाधान निकलेगा, इसमें मैं आपकी जानकारी चाहता हूं ।

श्री शांति त्यागी : आपके बेटे-बेटियां तो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको क्या फिक्र हो रही है..... **(व्यवधान)**

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय सभापतिजी, माननीय सदस्य को यह गलत जानकारी है कि समिति के बने तीन महीने का समय दिया गया था और वह तीन महीने का समय समाप्त हो गया है और समिति ने रिपोर्ट नहीं दी है । तथ्य यह है कि समिति श्री वीरप्पा मौली, मुख्य मंत्री, कर्नाटक की अध्यक्षता में सी०ए०बी०ई० के अन्य सदस्यों के साथ बनी है और इसका गठन 2 फरवरी, 1993 को हुआ है और इसमें प्रावधान है कि जो इसकी पहली बैठक होगी, उसके तीन महीने के अंदर यह अपनी रिपोर्ट देंगे । पहली बैठक इसकी 26 अप्रैल को हुई है और 26 जुलाई के अंदर इसकी रिपोर्ट आएगी, इसकी मुझे पूरी आशा है ।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि शिक्षा को कनकरेंट लिस्ट में लाया गया है और कई राज्यों में शिक्षा धीरे-धीरे असफल होती जा रही है । खास तौर से बाल शिक्षा का जहां तक संबंध है, मैं अपने प्रदेश बिहार की बात करना चाहूंगा कि आज बिहार में स्कूलों की शिक्षा करीब-करीब समाप्त हो गई है । सिर्फ दिल्ली में अगर आज सर्वे किया जाए, तो स्कूल के जो बोर्डिंग होस्टल्स हैं, या दूसरे विद्यालय हैं, वहां 90 प्रतिशत छात्र सिर्फ बिहार के हैं ।

तो कनकरेंट लिस्ट में लाने के बाद क्या केंद्रीय सरकार का कोई ऐसा नैतिक दायित्व बनता है कि नहीं कि जहां प्राथमिक शिक्षा असफल होती जा रही है—मैं किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं उससे परे यह बात कर रहा हूं । उसमें हम सारे लोग जिम्मेदार हैं । तो शिक्षा जहां बिलकुल राज्य सरकार के

हाथ से बाहर चली गई है, वहां केंद्र सरकार क्या कोई ऐसी नीति बनायेगी या अपने उस दायित्व का निर्वाह करेगी कनकरेंट लिस्ट में होने की वजह से ताकि वहां पर शिक्षा में कोई सुधार पंचायत स्तर पर किया जा सकता है ।

श्री अर्जुन सिंह : सभापति महोदय, यह प्रश्न तो व्यापक शिक्षा के मुद्दे से संबंधित है, लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण भी है, मैं सम्मानित सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि कनकरेंट लिस्ट में एजुकेशन लायी गयी है तो इसका यह तात्पर्य नहीं लेना चाहिए कि राज्यों की जो जिम्मेदारी इस संबंध में है, उस पर किसी प्रकार से केन्द्र अंकुश लगाना चाहता है या उसे संकुचित करना चाहता है । अगर कोई परिस्थिति जहां बनेगी जिसमें कि राज्यों की सहमति से कोई विषय कनकरेंट लिस्ट में लेजस्लेशन करने लायक होगा तो निश्चित रूप से कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत उसका लेजिस्लेशन होगा । जहां तक बिहार की स्थिति है निश्चित रूप से सदस्य की चिंता स्वाभाविक है । यह हम सबकी भी चिंता है और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की सरकार भी इससे चिंतित होगी और समुचित प्रबंध करने में सफल होगी, यह मेरी कामना है ।

श्री अजीत जोगी : सभापति होदय, यद्यपि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया है कि सेंट्रल एडवायजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट अभी नहीं आयी है तथापि यह बिल्कुल स्पष्ट है, आम धारणा है और यह सब जानते हैं कि शिक्षा में विकेन्द्रीकरण नहीं होने के कारण ही प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर सुदूर अंचलों में, आदिवासी क्षेत्रों में छात्रों की संख्या और शिक्षकों की उपस्थिति और छात्रों के ड्रॉप आउट्स पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पर चूंकि राजीव गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए सरकार ने पंचायती राज प्रारंभ किया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि बिना इस कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए हुए यह जानते हुए कि विकेन्द्रीकरण ही शिक्षा की इन सब गलतियों को दूर कर सकता है, तो क्या शासन यह निर्णय लेगा कि प्राथमिक शालाएं ग्राम पंचायतों को, माध्यमिक शालाएं जनपद पंजायतों को और उच्चतर माध्यमिक शालाएं जिला पंचायतों को देकर इस तरह से पंचायती राज के साथ शिक्षा का समन्वय कर के शिक्षा के क्षेत्र में जो यह कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए शासन कोई निर्णय लेगा ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, यह पूरा प्रयास इसी उद्देश्य से किया जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण पंचायती राज की परिकल्पना के अंतर्गत पूरी तरह से किया जा सके और जब यह नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो कि 1986 में राजीव जी ने बनायी थी उसमें ही यह प्रावधान किया गया था कि—

Overhaul of the system of planning and the management of educational system. One of the guiding considerations for the overhaul is decentralisation. The policy also envisages creation of District Boards of Education to manage education up to the higher secondary level. It also provides that local communities through appropriate bodies will be assigned a major role in programmes of school improvement.

इसी के संदर्भ में जो नये पंचायती राज की परिकल्पना की गई है और उसमें संवैधानिक प्रावधान किया गया है । किस प्रकार से उस प्रावधान के अनुरूप हमारा डिसेंट्रालाइजेशन का कार्यक्रम हो ताकि वह पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर शिक्षा का मैनेजमेंट करने के लिए सक्षम हो, उसी विचार को पूरा एक ढांचा देने के लिए इस समिति का गठन हुआ है । चूंकि प्रदेश के शिक्षा मंत्री इसके सदस्य हैं और जब सब मिलकर अपनी कोई रिपोर्ट देंगे तो उसके आधार पर ही कोई कदम उठाना ठीक होगा, एकांगी रूप से अभी कोई निर्णय लेना शायद बहुत समीचीन नहीं होगा ।

श्री संघ प्रिय गौतम : सभापति महोदय, संविधान की मूल प्रस्तावना एवं उसके अन्य प्रावधानों में हमारा यह संकल्प है कि संपूर्ण देश शिक्षित हो और देश में सब प्रकार की बराबरी आए चाहे वह राजनीतिक बराबरी हो, चाहे सामाजिक और आर्थिक बराबरी हो, इन सब की उपलब्धि में शिक्षा की बराबरी एक अहम भूमिका अदा करती है, लेकिन देखने को यह मिला है कि आज के मांटेसरी स्कूल, पब्लिक स्कूल अच्छी शिक्षा देते हैं, अंग्रेजी में शिक्षा देते हैं और चूंकि यह कीमती शिक्षा है तो अमीरों के बच्चे तो इधर जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों का स्तर गिर रहा है और गरीबों के बच्चे उनमें जा रहे हैं । जब स्पर्धा के अवसर आते हैं तो जो सरकारी स्कूलों में बच्चे शिक्षा पाते हैं वह नीचे रह जाते हैं, उस स्तर तक पहुंच नहीं पाते हैं । इसलिए शिक्षा पर उनकी रुचि घट रही है । तो मैं शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी इस प्रकार की कोई योजना या विचार है कि देश के अंदर समान एवं अवश्यक शिक्षा नीति लागू हो ? कृपया बताएं ।

श्री अर्जुन सिंह : सभापति महोदय, यह प्रश्न इस प्रश्न से तो उद्भूत नहीं होता है, हालांकि शिक्षा के समान स्तर को बनाने का जो प्रयास है वह सदैव होता रहा है। यह भी मैं स्वीकार करता हूं कि वह प्रयास इस हद तक सफल नहीं हुआ, जिस हद तक सफल होना चाहिए । लेकिन, ऐसे कई प्रयोग हुए हैं, जैसे नवोदय विद्यालय का, जिसके तहत ग्रामीण अंचलों में विशेषकर के इस स्तर को उठाने की जरूरत है क्योंकि आज अगर कोई ऐसा फैसला एकदम से ले लिया जाए, जिनका अपने बताया कि अंग्रेजी शिक्षा है प्राइमरी स्कूल और प्राइवेट एरिया में, अगर उन को एकदम से बंद करने का निर्णय लेकर हम इस प्रयास को चलाएंगे तो शायद वह अन्याय होगा । उसका हम स्तर उठाकर और व्यापक आधार बनाकर ही बराबरी ला सकते हैं और यही प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : नहीं, मंत्री जी, मेरी यह मंशा नहीं है । आप उनको निर्देशित कर सकते हैं कि

the pattern and syllabus of education shall be the same throughout the country be it by a Government school, montessori school or a public school.

MR. CHAIRMAN: It is a much larger question, not related to this.

श्रीमती सरोजा बहिन : स्टेट्स में तो आपकी गवर्नमेंट टैक्स बुक ही बदल रही थी । . . . **(व्यवधान)**

श्रीमती सरला माहेश्वरी : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय इस बात से अच्छी तरह से परिचित होंगे कि आज हमारे शिक्षा जगत में कई विसंगतियां हैं । . . . **(व्यवधान)** . . . सभापति जी, मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बात से बखूबी परिचित होंगे कि आज हमारे शिक्षा जगत में कई विसंगतियां हैं और शायद मंत्री महोदय इस बात से भी परिचित होंगे, जिस बात को गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कहा था कि मनुष्य पर दो तरह की मार होती है, एक धन की मार और दूसरी बुद्धि की मार । धन की मार से बुद्धि की मार ज्यादा खतरनाक होती है । तो आज हमारे देश में एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के तहत जो पांच हजार के करीब शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, वह हमारे छात्रों के दिमागों में जिस तरह जहर फैला रही हैं, इससे मंत्री महोदय परिचित हैं और उन शिक्षण संस्थाओं में जिस तरह हमारे देश के इतिहास को विकृत किया जा रहा है, हमारे देश की संस्कृति को विकृत किया जा रहा है । क्या इस संबंध में भी हम देश भर में एक समन्वय पाठ्यक्रम तैयार करने या पाठ्यक्रम के न्यूनतम मानदंड तैयार करने के लिए कोई समिति बना रहे हैं ? इसके साथ ही इससे जुड़ा हुआ मेरा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या यह सही नहीं है कि भारत में जहां औसत साक्षरता का दर महिलाओं का 38

प्रतिशत के करीब है वहीं मुस्लिम महिलाओं में यह साक्षरता का दर सिर्फ 14 प्रतिशत है । इसके कारण क्या हैं ? और, क्या इन कारणों को जानते हुए आप इन कारणों को दूर करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, यहां तक सदस्य महोदय का पहला प्रश्न है, यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय है कि कुछ स्कूलों में . . . **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: मुस्करा कर जवाब दिया जा रहा है ।

श्री अर्जुन सिंह : मैं सारंग जी को देखकर नहीं मुसकराऊंगा तो किसको देखकर मुसकराऊंगा ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : कुछ दाल में काला है, साहब । कुछ दाल में काला है ।

श्री अर्जुन सिंह : वह तो उन्होंने कहा ही । जो दाल में काला है, उसी की ओर संकेत है । . . . **(व्यवधान)** . . . तो सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह निश्चित रूप से चिंता का विषय होना चाहिए । अगर आपके लिए नहीं है तो होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में कम से कम ऐसे विषय होने चाहिएं और जो भी विषय हैं उसका आधार और कार्य होना चाहिए कि उससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हो और कम से कम गलत जानकारी किसी स्तर पर, ऐतिहासिक आधार पर या और किसी स्तर पर न दी जाए । अगर ऐसा होता है तो उसको सुधारने के लिए निश्चित कोशिश होनी चाहिए । ऐसा कई जगह हुआ है, यह यथार्थ है और उसके सुधारने की भी कोशिश की जा रही है । यह अलग है उसमें सहयोग दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है यह बात अलग है । इसलिए आपका यह कहना सही है कि हमें कम से कम पाठ्यक्रमों के आधार पर इसमें एकरूपता लाने की जरूरत है । नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च के द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं । हम इसको जबर्दस्ती किसी पर तो नहीं लाद सकते हैं, लेकिन अलग-अलग राज्यों में यह कोशिश हुई है कि एन०सी०ई०आर०टी० का जो पाठ्यक्रम है और जो पुस्तकें हैं, उनको प्रामाणिक मानकर उन पुस्तकों को ही पढ़ाया जाए । जहां तक बोर्डस हैं, अलग-अलग स्टेट्स के बोर्ड हैं, उनको अधिकार है, अपने अधिकारों के अन्दर वे जो पाठ्यक्रम बनाते हैं, बना सकते हैं । उनसे भी हरदम यह कोशिश की जाती है कि अपने पाठ्यक्रम को वे इसी मापदंड के अंदर रखें ।

जहां तक प्रश्न का दूसरा पहलू है, निश्चित रूप से महिलाओं के क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार और विशेषकर के अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर आज जो उपलब्ध हैं, उनसे कहीं ज्यादा उनकी आवश्यकता है और इस दिशा में विशेष अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अलग से है और उसके अंतर्गत पूरा प्रयास किया जाएगा, किया जा रहा है कि महिला शिक्षा का स्तर भी और उसकी व्यापकता भी और बढ़ाई जा सके ।

Internal Promotion Quota for Kendriya Vidyalaya Teachers

*83. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Kendriya Vidyalaya Sangathan has recently decided to raise internal promotion quota for its teachers;

(b) whether the teachers of various categories have also been made eligible for promotion;

(c) if so, the details thereof; and

(d) whether the decision is being implemented from the 1993-94 academic session?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE